(7)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिवीजन वाद सं0 13/2017–18

सुकु हेम्ब्रम..आवेदक

बनाम

मुंशी हेम्ब्रम..विपक्षी

आदेश

22-10-2021

यह रे0मि0 रिवीजन वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर0ई0 वाद सं0–92/14–15 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक मौजा–हड़वाडीह के जमाबंदी सं0–03 के अर्न्तगत दाग सं0–134 रकवा 0.03.00 (तीन) कट्ठा जमीन पर मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहे है। प्रश्नगत जमीन आवेदक के परदादा को दिया गया था। उक्त जमीन गत सर्वे सेटेलमंट में छोटा पृथी हेम्ब्रम के नाम से दर्ज है। विपक्षी जमाबंदी रैयत के वारीशान है, उनके द्वारा आवेदक को प्रश्नगत जमीन से उच्छेद करने हेतु आर0ई0 वाद सं0–92/14–15 निम्न न्यायालय में दायर किया गया। निम्न न्यायालय में अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर आवेदक को प्रश्नगत जमीन से यह कहकर उच्छेद किया गया कि प्रश्नगत जमीन विपक्षी की रयैती जमीन है जो अहस्तांतरणीय है। आवेदक द्वारा उक्त जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया है जो सं0 प0 कास्तकारी अधिनियम के धारा 20 के विरूद्ध है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमीन विपक्षी की रैयती जमीन है जो अहस्तांतरणीय है तथा आवेदक द्वारा अतिक्रमण कर बनाया गया मकान संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा 20 के विरूद्ध है। आवेदक द्वार अपने दावे के समर्थन में कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है।ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को वरकरार रखते हुए आवेदन को खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Note
304 ... 20/12/21

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:05:09 +05:30
Location: 169.254.227.244